हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

हुक्म की तामील मे जारी हुए

1/2/24 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अनि० उपस्थित। अप्रार्थी सं. 1 से 5 वादग्रस्त तामिल अनु०। इन्हे भिन्न-भिन्न समय पश्चात बार आवाजें लगवाई गई कोई उप० नहीं हुआ। अतः अप्रार्थी सं. 1 से 5 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 20/2/24 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी
अजमेर

20/2/24 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अनि० उपस्थित। प्रार्थी अनि० की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस सुनी गई तथा पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त आराजी का बैचान, हस्तान्तरण नहीं करने, प्रार्थी को वादग्रस्त आराजी से बेदखल नहीं करने तथा निर्माण नहीं करने हेतु अप्रार्थीगण को जारिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना उचित समझते है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण विरुद्ध अप्रार्थीगण को इस आशय से जारी कि जाती है कि ग्राम सेदरिया तहसील व जिला अजमेर के खसरा नंबर 563 रकबा 0.0300, खसरा नंबर 569 रकबा 0.0100, खसरा नंबर 570 रकबा 0.0400, खसरा नंबर 1330 रकबा 0.2200, खसरा नंबर 1339 रकबा 0.6800, खसरा नंबर 1340 रकबा 0.3300, खसरा नंबर 1341 रकबा 0.0100, खसरा नंबर 1342 रकबा 0.3200, खसरा नंबर 315 रकबा 0.3100, खसरा नंबर 543 रकबा 0.1200, खसरा नंबर 564 रकबा 0.2400, खसरा नंबर 565 रकबा 0.1200, खसरा नंबर 571 रकबा 0.2100, व खसरा नंबर 824 रकबा 0.1400 हैक्टेयर भूमि का बैचान, हस्तांतरण नहीं करें, प्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजी से बेदखल ना करें, निर्माण नहीं करे, ना किसी से करवाएँ, वादग्रस्त भूमि के ~~मौके~~ राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति मूल वाद के फैसले तक बनाएँ रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कमी तक बनाएँ रखे।